प्रेषक,

भगवती,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या–65/48–2020–1/12(25)/17

सेवा में,

निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उ0प्र0
लखनऊ।

सैनिक कल्याण अनुभागः लखनऊ : दिनांक 05 फरवरी, 2020

विषयः वर्ष 1986 के पूर्व के वीरता पुरस्कार विजेताओं को एकमुश्त धनराशि अनुमन्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–7273/प्री–86/वीरता पुरस्कार/स0प0–1/156 दिनांक 22.01.2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वर्ष 1986 के पूर्व के वीरता पुरस्कार विजेताओं को एकमुश्त धनराशि अनुमन्य कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में यह अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 15 जून, 2018 के अनुशीलन से यह स्पष्ट है कि पदक विजेताओं के वार्षिकी पुरस्कार की स्वीकृत दरें शासनादेश निर्गत होने की तिथि दिनांक 15 जून, 2018 से प्रभावी होंगी। जहॉ तक एकमुश्त पुरस्कार का प्रश्न है, शासनादेश में उल्लिखित दरों एवं पूर्व में भुगतान की गई एकमुश्त धनराशि के अन्तर की धनराशि को अवशेष के रूप में भुगतान किये जाने के संबंध में शासनादेश में ऐसा कोई प्राविधान नही है।

3. तद्नुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 1986 से पूर्व पदक विजेताओं को और मरणोपरान्त पदक विजेताओं के मामलें में पदक प्राप्ति के समय निकटतम परिजन (Next Of Kin) को एकमुश्त धनराशि का भुगतान किये जाने की अनुमति/स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त एकमुश्त धनराशि का भुगतान संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में डिजिटली किया जायेगा ।

भवदीय,

(भगवती)
संयुक्त सचिव।